175
1.11r

सर्वोच्च प्राथमिकता/समयबद्ध

उत्तराखण्ड शासन।
मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4
संख्याः 320/XXXV–4/2017
देहरादूनः दिनांकः 10 अक्टूबर, 2017

1. **सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।**
2. **आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, काशीपुर।**

मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 30 अगस्त, 2017 को मुख्य कॉन्फ्रेंस कक्ष, चतुर्थ तल, सचिवालय में आहूत गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त **(छायाप्रति–संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। विभागीय समीक्षा बैठक में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों के सापेक्ष जारी कार्यवृत्त के पश्चात् प्राथमिकता वाले विषयों पर कार्यवाही पूर्ण, कार्यवाही गतिमान, कार्यवाही अनारम्भ इत्यादि पर अनुपालन आख्या तत्काल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजने का कष्ट करें ताकि मा0 मुख्यमंत्री जी को ससमय अवगत कराया जा सके। मा0 मुख्यमंत्री जी की अपेक्षानुसार भविष्य में सम्बन्धित विभाग की समीक्षा बैठक में पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन की स्टेट्स रिपोर्ट की समीक्षा के साथ ही अगली बैठक प्रारम्भ की जायेगी।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार प्राथमिकता वाले निम्नांकित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए तत्संबंधित अनुपालन आख्या/अध्यावद्यिक स्थिति से तत्काल मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें:–

1. सर्वप्रथम सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग द्वारा अवगत कराया गया कि सहकारी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2016–17 में कुल 350.60 लाख कुण्टल गन्ने की पेराई कर 34.55 लाख कुन्टल चीनी का उत्पादन किया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान पेराई सत्र 2016–17 में कुल देय गन्ना मूल्य भुगतान रु0 1080.18 करोड़ के सापेक्ष रु0 876.99 का गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है तथा रु0 203.18 करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाना शेष है, जो कि कुल देय का 18.18 प्रतिशत है। मा0 मुख्यमन्त्री जी द्वारा मिलवार गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी।
2. उक्त के क्रम में उपाध्यक्ष, चीनी मिल लिब्बरहेड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी चीनी मिल का कुल देय गन्ना मूल्य रु0 210.37 करोड़ के सापेक्ष रु0 209.06 करोड़ का गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है तथा रु0 1.31 करोड़ का भुगतान किया जाना शेष है। महाप्रबन्धक, चीनी मिल लक्सर द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी चीनी मिल का कुल देय गन्ना मूल्य रु0 305.31 करोड़ के सापेक्ष रु0 298.83 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है तथा रु0 6.47 करोड़ का भुगतान किया जाना शेष है।
3. महाप्रबन्धक/उपाध्यक्ष चीनी मिल लक्सर एवं लिब्बरहेड़ी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा पेराई सत्र 2016–17 हेतु घोषित गन्ना मूल्य आदेश के

अनुसार रु0 2.00 कुन्टल की दर से चीनी मिलों को अनुदान के रूप में धनराशि दी जानी थी, जो कि अभी तक नहीं दी गयी है। यह भी अनुरोध किया गया कि शीघ्र ही उक्त धनराशि शासन से अवमुक्त की जाए, जिससे कि चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य का पूर्ण भुगतान किया जाना सम्भव हो सके।

4. मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि चीनी मिलें अपने संसाधनों से उक्त धनराशि रु0 2.00 प्रति कुन्टल की दर से गन्ना मूल्य भुगतान तत्काल कर दे, शासन द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति भविष्य में कर दी जायेगी। चीनी मिल लक्सर एवं लिब्बरहेड़ी द्वारा आश्वस्त किया गया कि शेष गन्ना मूल्य भुगतान 03–04 दिनों में कर दिया जायेगा।
5. उपाध्यक्ष, चीनी मिल इकबालपुर द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी चीनी मिल द्वारा कुल देय गन्ना मूल्य रु0 192.94 करोड़ के सापेक्ष रु0 113.32 करोड़ भुगतान किया जा चुका है तथा रु0 79.62 करोड़ भुगतान किया जाना शेष है। यह भी अवगत कराया गया कि मिल द्वारा वित्तीय संस्थाओं से गन्ना मूल्य भुगतान हेतु रु0 15.00 करोड़ के ऋण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा अगले दो सप्ताह में लगभग रु0 20.00 करोड़ का भुगतान राज्य के किसानों को कर दिया जायेगा। मा0 मुख्यमन्त्री जी द्वारा किसानों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेते हुए कहा गया कि चीनी मिल इकबालपुर द्वारा राज्य के बाहर से क्रय किये गये गन्ने का भुगतान पहले कर देती है तथा राज्य के किसानों का भुगतान लम्बित रहता है। चीनी मिल के प्रतिनिधियों द्वारा मा0 मुख्यमन्त्री जी को आश्वासन दिया गया कि पेराई सत्र 2017–18 में उपरोक्त तथ्यों का विशेष ध्यान रखा जायेगा तथा राज्य के किसानों को प्राथमिकता दी जायेगी।
6. निजी चीनी मिलों के प्रधान प्रबन्धक/उपाध्यक्ष द्वारा मा0 मुख्यमन्त्री जी को श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के वेतन में की गयी बढ़ोत्तरी एवं उससे चीनी मिल पर होने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराया गया कि श्रम विभाग द्वारा पूर्वगामी तिथि 01.10.2015 से वेतनमानों को पुनरीक्षित किया गया है। इस कारण से चीनी मिलों के श्रमिकों के वेतन के मद में बढोत्तरी होने से वित्तीय भार पड़ रहा है। मा0 मुख्यमन्त्री जी द्वारा मुख्य सचिव एवं सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उोग को निर्देश दिये गये कि उक्त आदेश का परीक्षण कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाये।
7. सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग द्वारा अवगत कराया गया कि सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों द्वारा कुल देय गन्ना मूल्य रु0 371.57 करोड़ के सापेक्ष रु0 256.26 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है तथा रु0 115.31 करोड़ का भुगतान किया जाना शेष है। शक्कर विशेष निधि से रु0 5.00 करोड़ गन्ना मूल्य भुगतान हेतु आदेशित किया जा चुका है। वर्तमान में सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों पर पेराई स 2016–17 का गन्ना मूल्य रु0 110.00 करोड़ अवशेष है।
8. उपस्थित सभी प्रधान प्रबन्धकों द्वारा अवगत कराया गया कि गन्ना मूल्य भुगतान समय से न होने के कारण पेराई सत्र में चीनी मिल को क्षमता के अनुरूप न्ने की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिस कारण चीनी के लागत मूल्य में वृद्धि हो रही है। प्रधान प्रबन्धक, चीनी मिल सितारगंज द्वारा अवगत कराया गया कि चीनी मिल के कार्मिकों को माह मार्च, 2017 से वेतन भी नहीं दिया जा सका है तथा आगामी पेराई स प्रारम्भ किये जाने हेतु अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान के अतिरिक्त लगभग रु0 10.00 करोड़ की धनराशि की आवश्यकता होगी। प्रधान प्रबन्धक, चीनी मिल बाजपुर द्वारा अवगत कराया

गया कि आगामी पेराई सत्र प्रारम्भ किये जाने हेतु अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान के अतिरिक्त रु0 15.00 करोड़ की धनराशि की और आवश्यकता होगी।

9. मुख्य सचिव द्वारा प्रधान प्रबन्धकों एवं अधिशासी निदेशकों से अपेक्षा की गयी कि यदि गन्ना मूल्य भुगतान अभी कर दिया जाता है तो पेराई सत्र में गन्ने की उपलब्धता क्या होगी? सभी प्रधान प्रबन्धकों एवं अधिशासी निदेशकों द्वारा अवगत कराया गया कि यदि गन्ना मूल्य भुगतान शीघ्र कर दिया जाता है तो पेराई सत्र में गन्ने की कमी नहीं होगी तथा सभी मिलें 120–130 दिनों तक क्षमता के अनुरूप गन्ना पेराई कर सकेगी।
10. मा0 मुख्यमन्त्री जी द्वारा चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति एवं कृषकों के वृहद् हितों के दृष्टिगत शासन से अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान हेतु धनराशि उपलब्ध करायें जाने के लिए मा0 मन्त्रिमण्डल के सम्मुख सुस्पष्ट प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।
11. मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि मा0 मन्त्रिमण्डल के सम्मुख प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव में चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाये जाने हेतु किये जाने वाले प्रयासों/प्रस्तावों का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाये।
12. उपाध्यक्ष, चीनी मिल लक्सर एवं लिब्बरहेड़ी द्वारा मा0 मुख्यमन्त्री जी से अनुरोध किया गया कि निकटवर्ती राज्य उ0 प्र0 में गन्ना समिति कमीशन रु0 4.50 प्रति कुन्टल की दर से निर्धारित किया गया है जबकि उत्तराखण्ड में गन्ना समिति कमीशन केन्द्र सरकार द्वारा घोषित निर्धारित मूल्य (FRP) का 3 प्रतिशत, जो कि पेराई सत्र 2017–18 के लिए रु0 7.65 प्रति कुन्टल है। अतः उपरोक्त सोसायटी कमीशन को उ0 प्र0 राज्य की भाँति रु0 4.50 किये जाने का अनुरोध किया गया। मा0 मुख्यमन्त्री जी द्वारा सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग में गन्ना एवं चीनी आयुक्त से उक्त के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

मा0 मुख्यमन्त्री जी द्वारा सभी चीनी मिलों को निर्देश दिये गये कि चीनी मिलों की मरम्मत एवं रख–रखाव में पूर्ण पारदर्शिता एवं मितव्ययता बरती जाये। साथ ही मिलों को आगामी पेराई सत्र हेतु समय से चलाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, मुख्यमन्त्री।

संख्याः 320/XXXV-4/2017, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमन्त्री को मा0 मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।

10/11/17

(डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव, मुख्यमन्त्री।